

**न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी**  
**(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')**

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक 982/2016**  
**संस्थित दिनांक 28.12.2016**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
ठीकरी, जिला बड़वानी, मप्र

- **अभियोगी**

**वि रू द्ध**

रतन पिता सावदिया भील, उम्र 58 वर्ष,  
निवासी गौशाला के पास ठीकरी,  
जिला बड़वानी, म.प्र.

- **अभियुक्तगण**

<b>अभियोजन द्वारा एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी</b>
<b>अभियुक्त क्रमांक- द्वारा अभिभाषक - श्री संजय गुप्ता</b>

-: **नि र्ण य** :-

(आज दिनांक 16-03-2017 को घोषित)

01- पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 360/2016 के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 15.12.2016 को रात्रि 7:30 बजे फरियादी के घर गौशाला के पास ठीकरी में उसे धारधार वस्तु फालिया से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिये भा.द.वि. की धारा 324 तथा अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के एक प्रतिबंधित आकार का धारधार लोहे का फालिया जिसकी लंबाई 15 इंच और चौड़ाई 1-1/2 इंच राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 6312-6522 दि. 22.11.1974 के उल्लंघन में रखने के लिए आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1-बी)(बी) का आरोप है।

02- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी आरोपी को जानते हैं फरियादी लालु आरोपी का पुत्र है तथा श्रीमती लीलुबाई आरोपी की पत्नी है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था तथा यह भी स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी लालु द्वारा आरोपी से राजीनामा करने के आधार पर आरोपी को भा.द.वि. की धारा 294, 506 भाग-2 के अपराध से दोषमुक्त किया गया ।

03- अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.12.16 को श्रीमती लीलुबाई ने आरोपी के विरुद्ध थाना ठीकरी पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पति रतन तीसरे नम्बर के लड़के लालु के साथ रहता है, शाम करीब 7:30 बजे वह चुल्हे पर रोटी बना रही थी तथा उसका लड़का लालु खाना खा रहा था, उसकीक बहु ज्योतिबाई बिस्तर बिछा रही थी तभी उसका पति गांव तरफ से शराब पीकर घर आया तो लड़के लालु ने रोटी खाने का बोला तो उसके पति ने कहा कि खाना नहीं खाऊंगा चुल्हे पर रखा खाना फेक दिया और मां बहन की नंगी नंगी गालियां

देकर टापरी पर रखा फालिया निकाला और लड़के लालु को दाहिने हाथ पर मारा जो उसकी कोहनी के पास गहरी चोट लगने से खुन निकलने लगा तथा वह नीचे गिर गया तभी उसकी बहू ज्योतिबाई दौड़कर आई और बीच बचाव कर उसने उसके पति रतन से फालिया छुड़ाया तो पति रतन ने धमकी दी कि थाने पर रिपोर्ट की तो सभी को जान से खत्म कर देंगा, फिर उसका लड़का कालु भी आ गया जिसको घटना बताई तथा लड़का कालु व घायल लालु को साथ लेकर रिपोर्ट करने आई है, रिपोर्ट करती है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्र. 360/16 का अपराध दर्ज कर, आहत लालु का मेडिकल परीक्षण कराया, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर, आरोपी के पेश करने पर उक्त फालिया जप्त कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 506 भाग-2, 324 एवं आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1)(बी)(बी) के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित करने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। भा.द.वि. की धारा 294, 506 भाग-2 में राजीनामा होने के कारण अब आरोपी का धारा 324 एवं आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1)(बी)(बी) के अंतर्गत निर्णय किया जा रहा है। दप्रसं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष हैं और उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्त दिनांक 15.12.2016 को रात्रि 7:30 बजे फरियादी के घर गौशाला ठीकरी में लालु को धारधार वस्तु फालिया से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की?
(ii)	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर एक प्रतिबंधित आकार का धारधार लोहे का फालिया जिसकी लंबाई 15 इंच और चौड़ाई 1-1/2 अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा ?

### **- विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i) व (ii) पर सकारण निष्कर्ष -**

06— उपरोक्त दोनों ही विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने व सुविधा तथा संक्षिप्तता की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

07— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में लीलुबाई (अ.सा.1) का कथन है कि 2 माह पहले वह चुल्हे पर राटी बना रही थी और लालू राटी खा रहा था, खाना खाने की बात को लेकर लालु और उसके पति रतन के बीच आपसी

बोलचाल हो गई थी तथा झुमाझटकी में लालु को चोट आई थी, वह लालु को ईलाज के लिये अस्पताल ले गई थी। उसने थाना ठीकरी पर अपने पति के विरुद्ध प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट लिखाई थी। न्यायालय की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने लालु को टापरी में से फालिया निकालकर दाहिने हाथ पर मार दिया था। यहां तक की साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी 2 का कथन देने से भी इंकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी उसका पति है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि पति को बचाने के लिये वह असत्य कथन कर रही है।

08— लालु (अ.सा.3) ने भी उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। साक्षी ने केवल इतना कथन है कि आरोपी शराब पीकर उसे गालियां देने लगा, उसके मना करने पर आरोपी और उसके बीच झगड़ा हो गया था और धक्का मुक्की में वह गिर गया था, जिससे उसे हाथ में चोट आ गई थी और हाथ से खून निकलने लग गया था। उसकी मां ने रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने उसका ईलाज कराया था। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके पिता ने फालिया से उसे मारा था, जिससे चोट आई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके पिता के आधिपत्य से एक लोहे का फालिया जप्त किया था। साक्षी ने अपने पिता से राजीनामा होना स्वीकार किया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है।

09— राजेन्द्र सोलंकी (अ.सा.2) का कथन है कि दि. 15.12.16 को फरियादी लीलुबाई ने आरोपी के विरुद्ध प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और उसने लालु को ईलाज के लिये ठीकरी अस्पताल भेजा था, लालु की निशांदेही से नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 का बना था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने आरोपी से पूछताछ की थी। आरोपी के पेश करने पर एक लोहे का फालिया धारधार जिसकी लंबाई 15 इंच और चौड़ाई 1-1/2 इंच प्रदर्श पी 5 के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने आर्टिकल-ए के फालिये की पहचान भी की है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी, फरियादिया का पति है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने फरियादी लीलुबाई और लालु के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी के कथन नहीं किये हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्तशुदा हथियार जैसा हथियार बाजार में मिल जाता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे फरियादी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी, उसने असत्य रिपोर्ट लिखी है और वह असत्य कथन कर रहा है।

10— इस प्रकार राजीनामा करने के बाद फरियादी और साक्षीगण पक्ष विरोधी रहे हैं और उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 324

तथा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1-बी)(बी) का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः यह न्यायालय आरोपी रतन पिता सावदिया भील, उम्र 58 वर्ष, निवासी गौशाला के पास ठीकरी, जिला बड़वानी, म.प्र. को भा.द.वि. की धारा 324 तथा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1-बी)(बी) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित करता है।

11— आरोपी अभिरक्षा में है उसका रिहाई आदेश जारी हो।

12— अभियुक्त का दंप्रस की धारा 428 के प्रावधानों अनुसार निरोध अवधि का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

13— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे का धारदार फालिया मूल्यहीन होने से, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नष्ट किया जाए, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

—सही—

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

—सही—

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

